Witness No...01 ..For....बचाव साक्ष्य....Deposition Taken Date..28.02.2026....

Witness's Apparentage. States On Affirmation. शपथ पूर्वक.............

My Name .राकेश सिंह Son/ Of. ..स्व.भोला सिंह... उम्र ...44 वर्ष....

Occupation–.. ठेकेदार.

Address–वार्ड नं० 15 हिरीगिरी दफाई, हल्दीबाडी, थाना–चिरमिरी, जिला–एम०सी०बी०

प्रारंभ समयः– 3.40 बजे

<u>मुख्य परीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री समर सिंह वास्ते अभियुक्त</u>

1. मैं परिवादी को जानता हूं। मैं उनके दुकान से सामान क्रय करता हूं इस कारण से उनको जानता हूं। मैं परिवादी बडे राय ट्रेडर्स के मालिक के रूप में सुजय के पिता को जानता हूं । मुझे सुजय के पिता का नाम बडे राय के रूप में ही मालूम है। मैंने प्रकरण में प्रस्तुत चेक परिवादी के पिता को दिया था। मैने परिवादी के पिता अपना हस्ताक्षरित चेक दिया था जिसमें मैने तिथि, राशि एवं अन्य विवरण का लेख नही किया था।
2. मै परिवादी के पिता के दुकान बडे राय ट्रेडर्स से उधार में सामान क्रय करता था और सुरक्षा बतौर चेक देता था । प्रकरण में प्रस्तुत चेक भी सुरक्षा के बतौर दिया था। मैने परिवादी के पिता बडे राय ट्रेडर्स को 28000/–रूपये नगद वर्ष 2023 में दे दिया था। मैने 28000/–रूपये सहनवाज अंसारी नाम के व्यक्ति के सामने दिया था और 7000/–रूपये को नगद सुजय को दिया था।
3. मैंने 28000/– सेट्रंल बैंक पोडी ब्रांच के सामने परिवादी के पिता को दिया था। मैने 7000/–रूपये वर्ष 2025 में सुजय को पोडी के रास्ते में दिया था। मेरा उनके साथ अक्सर लेन–देन रहता था उस व्यवहार के कारण मैने पावती नही ले पाया था। मैने चेक मांगा था तो मुझे चेक नहीं लौटाया और आश्वासन दिये कि मामला खत्म हो जायेगा।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश सिंह वास्ते परिवादी</u>

4. यह कहना सही है कि मैने सुजय कुमार जैन प्रतिष्ठान बडे राय ट्रेडर्स से सीमेंट एवं लोहे का छण 35000/–रूपये उधार में खरीदा था। यह कहना गलत है कि मैने सुजय को यह आश्वासन दिया था कि 02 माह के भीतर राशि अदा कर दूंगा । स्वतः कहता है कि मैने सुजय के पिता को चेक दिया था ।
5. यह कहना गलत है कि सुजय ने मुझसे 02 माह पश्चात संपर्क किया तो मैंने उसके संस्था के नाम से चेक उसे दिया था ।
6. यह कहना सही है कि मेरा सेट्रंल बैंक शाखा चिरमिरी में खाता है। यह कहना सही है कि मेरा खाता क्रमांक 3806318915 है। आज मुझे याद नही है कि जो मैने चेक दिया था उसका क्रमांक 063001 है।
7. यह कहना सही है कि मैने प्र०पी० 01 का चेक क्रमांक 063001 दिया था। स्वतः कहता है कि परिवादी को नहीं दिया था उसके पिता को दिया था। यह कहना सही है कि प्र०पी० 01 के चेक में 35000/–रूपये की राशि लिखी हुई है। स्वतः कहता है कि मैने अपने हस्ताक्षर के अलावा कोई विवरण चेक में नहीं लिखा है।
8. यह कहना गलत है कि सुजय ने मुझसे सम्पर्क किया था। यह कहना सही है कि मुझे विधिक नोटिस चेक अनादरण का प्राप्त हुआ था। यह कहना सही है कि मैने लिखित नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था। यह कहना सही है कि मैने बडे राय ट्रेडर्स के दुकान में कोई राशि नहीं दी थी।

पुनः परीक्षण कुछ नही ।
समाप्त समय 4.00 बजे

साक्षी को पढकर सुनाया गया
उसने सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया ।

सही/–
(अंशुल वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चिरमिरी जिला–कोरिया छ०ग०

गवाह का हस्ताक्षर

सही/–
(अंशुल वर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चिरमिरी जिला–कोरिया छ०ग०